

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र— मुण्डनवाडा कलां

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय दिनांक
102 / 2017	18.05.2017	11.05.18

अनुवान

1. राजवीर पुत्र महेन्द्र सिंह यादव जाति अहीर निवासी भोजपुरी तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।

:-वादी

बनाम

1. धर्मवीर
2. राजपाल
3. देशराज पुत्रान-महेन्द्र सिंह
4. राकेश
5. रविन पुत्रान श्योराम जातियान अहीरान निवासीयान भोजपुरी तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

:-प्रतिवादीगण


दावा—तकासमा मय हु० ई० दवामी

:-अन्तिम पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 11.05.2018

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव वकील वादी व स्वयं वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—


हाल आराजी ख० नं० 497/219 रकबा 0.63 है० वाके ग्राम हुलमाना खुर्द तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।
तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे।
बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजौ से ऋण राशि
वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा
डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 11.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद
हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान) 11.05.18
उपखण्ड अधिकारी एवं (अलवर) राज
पदेन सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)